

फर्द अहकाम

प्रकार

बनाम पुनल गाह

नाम न्यायालय

केस संख्या

223/202

क्रम संख्या	दिनांक आज्ञा या कार्यवाही	आज्ञा विस्तृत रूप से
	25/6/22	<p>पुनल गाह के अहकाम के अंतर्गत प्रमाणित नहीं हुए लक्ष का निस्तान किया जा चुका है इस प्रकार का काम न्यायालय के भी अधिकार नहीं है केवल न्यायालय ही कर सकता है</p> <p style="text-align: right;">उपर्युक्त अधिकार जयपुर द्वितीय (समान)</p>

